

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

चन्दा बनाम पूर्मल (लॉ३१)

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111-128 नं० 38 सन 2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील न जारी हुए
--------	-----------------------------------	---

0.2.23

वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 14.3.23 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल

14/3/23

पत्रावली पेश हुई, अतिरिक्त जमान द्वारा न्यायिक कार्य समाप्त करने से पत्रावली दिनांक 28/3 को पेश हो ।

8/3/23

पत्रावली पेश हुई, वकील आर्षीगण उपस्थित, आर्षीगण के सम्मन वाद तामिल होकर प्राप्ता हुए जिसे आम्बिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण अनुपस्थित, विपक्षीगण को कितनी मर्तबा डावाजे डिजायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इसके विकल्प एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है । वकील आर्षीगण का प्रावण स्वीकार किया जाकर निर्णय सूचना से लिखा जाकर शांण्ड किया गया पत्रावली फलतः अन्त होकर नम्बर से सम हो ।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 38/23 प्रा0पत्र

1- चम्दा 010 श्री शिखरनाथ उर्फ श्रीमाण्डल उपरीट निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल (कुरा)
(संबंधित पापत्र रात्मग)

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री पूर्णमल शोत्री मोहन डोली निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल
2. शजरबाज बापू परिप तहसीलदार सा-माण्डल तहसील-माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 28-03-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....माण्डल.....पटवार हल्का.....माण्डल.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं0 5356, 9487/4334 कुल किता.....02.....रकबा.....1.0117.....हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.03.23 को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....माण्डल.....पटवार हल्का.....माण्डल.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं0 5356, 9487/4334 कुल किता.....02.....रकबा.....1.0117.....हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....माण्डल को.....500/-रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा